



THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 506

7 Aasadh, 1941(S)

Ranchi, Friday, 28th June, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

28th June, 2019

Notification No. 21/2019 – State Tax

S.O. No. 58 Dated - 28th June, 2019 -- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons paying tax under the provisions of section 10 of the said Act or by availing the benefit of notification of the Government of Jharkhand, Commercial Taxes Department, No. 02/2019– State Tax (Rate), dated the 26th April, 2019, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 36, dated the 26th April, 2019, (hereinafter referred to as “the said notification”) as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing of return and payment of tax.

2. The said persons shall furnish a statement, every quarter or, as the case may be, part thereof containing the details of payment of self-assessed tax in FORM GST CMP-08 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, till the 18th day of the month succeeding such quarter.

3. The said persons shall furnish a return for every financial year or, as the case may be, part thereof in **FORM GSTR-4** of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, on or before the 30th day of April following the end of such financial year.

4. The registered persons paying tax by availing the benefit of the said notification, in respect of the period for which he has availed the said benefit, shall be deemed to have complied with the provisions of section 37 and section 39 of the said Act if they have furnished **FORM GST CMP-08** and **FORM GSTR-4** as provided in para 2 and para 3 above.

[File.No Va Kar / GST / 01/ 2019]
By the order of the Governor of Jharkhand

Prashant Kumar,
Secretary-cum-Commissioner.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

28 जून, 2019

अधिसूचना सं०. 21/2019- राज्य कर

एस. ओ. सं -58 दिनांक 28 जून, 2019-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले या झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में एस. ओ. सं ,36 .तारीख 26 अप्रैल, 2019, द्वारा प्रकाशित झारखण्ड सरकार के वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं. 02/2019-राज्य कर (दर), तारीख 26 अप्रैल, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिसूचना" कहा गया है) के फायदे का उपभोग करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो विवरणी देने और कर का संदाय करने के लिए नीचे यथावर्णित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे ।

2. उक्त व्यक्ति, झारखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में एक स्वनिर्धारित कर संदाय के ब्यौरे में अंतर्विष्ट करते हुए, यथास्थिति, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग का ऐसे तिमाही के उत्तरवर्ती मास की 18 तारीख तक एक विवरण प्रस्तुत करेंगे ।

3. उक्त व्यक्ति, झारखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-4 में, यथास्थिति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए एक विवरणी, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत से आगामी की 30 अप्रैल को या उसके पहले प्रस्तुत करेंगे ।

4. उक्त अधिसूचना का उपभोग करके कर का संदाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के बारे में, ऐसी अवधि के संबंध में जिसके लिए उन्होंने उक्त फायदे का उपभोग किया है, यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 37 और धारा 39 के उपबंध का अनुपालन किया है यदि वे उन्होंने उपरोक्त पैरा 2 और पैरा 3 में यथा उपबंधित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 और प्ररूप जीएसटीआर-4 दे दिया है ।

[सं.सं वा०कर/जी०एस०टी०/01/2019]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

प्रशांत कुमार,
सचिव-सह-आयुक्त